

न्यायालय:- अपर सत्र न्यायाधीश गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

प्रकरण क्रमांक 274/2015 अ0फो0

संस्थापित दिनांक 05.04.2014

हल्का उर्फ रामप्रकाश पुत्र मदनलाल जाति बरेठा  
आयु 30 वर्ष, निवासी वार्ड क्र. 10 पुलिस गोहद  
परगना गोहद जिला भिण्ड म0प्र0।

----- अपीलार्थी/आरोपी

बनाम

म0प्र0शासन द्वारा आरक्षी केन्द्र गोहद, परगना  
गोहद जय्ये कलेक्टर जिला भिण्ड म0प्र0।

-----रिस्पोंडेंट

आरोपी/अपीलार्थी द्वारा श्री सुनील कुमार कांकर अधिवक्ता ।  
राज्य शासन द्वारा ए0पी0पी0 श्री दीवानसिंह गुर्जर ।

न्यायालय श्री केशव सिंह, जे0एम0एफ0सी0 गोहद द्वारा दाण्डिक  
प्रकरण क्रमांक 1465/2011में निर्णय व दण्डाज्ञा दिनांक 30-01-2014  
से उत्पन्न दाण्डिक अपील।

// निर्णय //

(आज दिनांक 27-08-2015 को घोषित किया गया)

01. अपीलार्थी/आरोपी की ओर से उक्त दाण्डिक अपील न्यायालय जे0एम0एफ0सी0 गोहद पीठासीन अधिकारी श्री केशवसिंह द्वारा दाण्डिक प्रकरण क्रमांक 1465/2014 निर्णय दिनांक 30-01-14 के निर्णय एवं दण्डाज्ञा से विक्षुप्त होकर प्रस्तुत की है, जिसमें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आरोपी/अपीलार्थी को धारा 379 भा0द0वि0 के अपराध में दोषसिद्ध किया गया है एवं आरोपी/अपीलार्थी को 379 भा0द0सं0 के अपराध में छः माह के सश्रम कारावास एवं 300 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया था ।

02. अधीनस्थ विचारण न्यायालय के समक्ष अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार से रहा है कि दिनांक 2.11.11 को फरियादी रमेश प्रजापति ने रिपोर्ट की कि वह

रोजाना की तरह पूजा कर के सो गया था और रात्रि करीब दो बजे पैशाब करने को खड़ा हुआ तो देखा कि मंदिर की तरफ से आहट सुनाई दी तब मंदिर की तरफ गया तो देखा कि उसके मोहल्ले का हल्का उर्फ रामप्रकाश पुत्र मदनलाल बरेठा मंदिर के घण्टा उतारकर ले जा रहा है उसने टोका कि घण्टा क्यों ले जा रहे हो तो वह घण्टा लेकर भाग गया। उसने मंदिर में जाकर देखा तो चार घण्टों में से दो बड़े घण्टे पीतल के जिन पर अन्नपूर्णा लिखा है तथा दोनों घण्टे कथई कलर से पुते हुए थे फिर उसने भागीरथ व गोपाल जो कि मंदिर पर ही रहते हैं को जगाया व उक्त बात घटना के बारे में बताया। उक्त रिपोर्ट पर से अपराध क्रमांक 242/11 धारा 379 भा0दं0वि0 का पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया।

03. अधीनस्थ विचारण न्यायालय के द्वारा आरोपी के विरुद्ध धारा 379 भा0दं0सं0 के अन्तर्गत अपराध प्रमाणित मानते हुये उसे दोष सिद्ध ठहराकर कण्डिका -1 में दर्शाये अनुसार दण्ड से दण्डित किया गया है ।

04. अपीलार्थी के द्वारा वर्तमान अपील मुख्य रूप से इन आधारों पर पेश की गयी है कि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित निर्णय व दण्डादेश दिनांक 30-1-14 विधि और तथ्यों के विपरीत पारित किया गया है । अभियोजन साक्षी के द्वारा अभियोजन प्रकरण का कोई समर्थन नहीं किया गया है और उन्हें पक्षद्रोही घोषित किया गया है। उनकी साक्ष्य में आरोपी के विरुद्ध कोई तथ्य नहीं आया है इसके उपरांत भी इस प्रकार की साक्ष्य और अनुसृत साक्ष्य पर विश्वास करते हुये आरोपी को दण्डित किया गया है । प्रकरण में मेमोरेण्डम के आधार पर जप्ती की कार्यवाही भी स्वतंत्र साक्षियों के कथनों से पुष्ट नहीं है और इस बिन्दु पर विवेचना अधिकारी के कथनों में विरोधाभासी कथन आये हैं इसके उपरांत भी मेमोरेण्डम के आधार पर जप्ती होने के तथ्य को मानने में अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा भूल की गयी है । आरोपी को दोष सिद्ध ठहराये जाने हेतु कोई भी साक्ष्य मौजूद नहीं है । अपील स्वीकार करते हुये दोषसिद्धी एवं दण्डादेश अपास्त करते हुये आरोपी को दोषमुक्त किये जाने का निवेदन किया गया है ।

05. राज्य की ओर से अपर लोक अभियोजक ने अधीनस्थ न्यायालय को उचित रूप से पारित किया जाने से उसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप न किये जाने का निवेदन किया गया है

अपीलार्थी के द्वारा प्रस्तुत अपील के संबंध में विचारणीय है कि :-

क्या अधीनस्थ विचारण न्यायालय का दोषसिद्ध आदेश एवं दण्डादेश दिनांक 30.01.2014 स्थिर रखे जाने योग्य न होकर अपास्त किए जाने योग्य है?

### // निष्कर्ष के आधार //

06. घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट फरियादी रमेश के द्वारा थाना गोहद में प्रथम सूचना रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से फरियादी के द्वारा इस बात का उल्लेख किया गया है कि मन्दिर का घन्टा उतारकर चोरी करले जाते हुये उसने आरोपी हल्का उर्फ रामप्रकाश को देखा था और उसे रोका भी था कि घन्टा क्यों ले जा रहे हो किन्तु वह घन्टा लेकर भाग गया था । उसने मन्दिर में रहने वाले भागीरथ ओर गोपाल को भी जगायाथा और उन्हें उक्त बात बतायी थी ।

07. गोहद वार्ड क्रं0 10 में स्थित अन्नपूर्णा मन्दिर से घन्टा चोरी होने की बात साक्षी रमेश प्रजापति अ0सा01, गोपाल रावत अ0सा02 , भागीरथ अ0सा03 के द्वारा भी बताया गया है । इस प्रकार मन्दिर से घन्टे की चोरी हो जाना अभियोजन साक्षियों के कथनों से स्पष्ट है । अब विचारणीय है कि क्या आरोपी के द्वारा ही उक्त चोरी की घटना कारित की गयी ?

08. अभियोजन के द्वारा घटना के फरियादी रमेश प्रजापति अ0सा01 का कथन कराया गया है किन्तु उक्त साक्षी के द्वारा अभियोजन प्रकरण का किसी भी बिन्दु पर कोई समर्थन नहीं किया गया है । उक्त साक्षी को अभियोजन के द्वारा पक्षद्रोही घोषित किया गया है किन्तु पक्षद्रोही घोषित किये जाने पर उसके कथन में अभियोजन प्रकरण का कोई समर्थन या पुष्टि नहीं हुयी है । जिससे आरोपी की घटनास्थल पर उसके द्वारा चोरी का घन्टा ले जाते हुये देखे जाने की कोई पुष्टि होती हो । इस प्रकार प्रथम सूचना रिपोर्ट के तथ्य की पुष्टि साक्षी रमेश प्रजापति के कथनों में नहीं हुयी है । इसी प्रकार अभियोजन के द्वारा प्रस्तुत अन्य साक्षी गोपाल रावत अ0सा02 के द्वारा अभियोजन प्रकरण का कोई समर्थन नहीं किया है उसके कथनों से भी अभियोजन प्रकरण की कोई पुष्टि नहीं होती है ।

09. अभियोजन साक्षी भागीरथ अ0सा03 के कथन का जहां तक प्रश्न है उक्त साक्षी घटना का मात्र अनुसृत साक्षी है । उसे रमेश के द्वारा आरोपी का नाम बताना और पहचानना उसके द्वारा अभिकथित किया जा रहा है । प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया कि उसे नहीं पता कि मन्दिर में चोरी किसके द्वारा की गयी और उसने किसी का नाम अपने कथनो में नहीं बताया । इस प्रकार साक्षी भागीरथ जो कि घटना का मात्र अनुसृत साक्षी है के कथन के आधार पर भी आरोपी के घटना में संलग्न होने का कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता ।

10. इस प्रकार अभियोजन प्रकरण जो कि चक्षुदर्शी साक्षी पर आधारित होना बताया गया है चक्षुदर्शी साक्षी के द्वारा अभियोजन प्रकरण का कोई समर्थन नहीं किया गया है । प्रकरण में अभियोजन के द्वारा प्रस्तुत अन्य साक्षी जो कि आरोपी के मेमोरेण्डम कथन के

आधार पर उसके आधिपत्य से चोरी की विषय वस्तु घंटे की जप्ती के संबंध में विचार किया जाना उचित होगा ।

11. अभियोजन साक्षी नानक चन्द्र यादव अ0सा06 जो कि प्रकरण के विवेचना अधिकारी हैं ने अपने साक्ष्य कथन में दिनांक 2-11-11 को आरोपी से पूछताछ करना और उसके द्वारा पीतल के घन्टे अपने घर में रखा होना और चलकर बरामद करादेना बताया था जो कि मेमोरेण्डम कथन प्र0पी0 5 है उक्त मेमोरेण्डम के आधार पर आरोपी के द्वारा अपने घर के कमरे से लाकर पेश करने पर दो पीतल के घन्टों की जप्ती की थी और जप्ती पत्रक प्र0पी0 7 बनाया था ।

12. आरोपी के मेमोरेण्डम कथन के आधार पर जप्ती की कार्यवाही का जहां तक प्रश्न है । अभियोजन के द्वारा साक्षी राजूखां अ0सा04 तथा ईशाक खां अ0सा05 का परीक्षण कराया है । उक्त दोनों ही साक्षीगण के द्वारा मुख्य परीक्षण में मेमोरेण्डम प्र0पी0 5 और जप्ती प्र0पी0 7 पर अपने हस्ताक्षर होना बताया है तथा आरोपी के आधिपत्य से उसके मेमोरेण्डम कथन के आधार पर जप्ती होने के तथ्य को उनके द्वारा बताया गया है । किन्तु प्रतिपरीक्षण में उक्त दोनों साक्षीगण के द्वारा यह बताया गया है कि पुलिस ने दस्तावेज पर हस्ताक्षर थाने पर कराये थे उक्त दस्तावेजों में क्या लिखा है इस बारे में दस्तावेज उन्होंने पढ़ा नहीं था । साक्षी ईशाक खां के द्वारा यह बताया कि वह अपने किसी काम से थाने पर गया था और वहीं पर पुलिस ने उससे हस्ताक्षर करा लिये थे । इसी प्रकार साक्षी राजू खां के द्वारा बताया गया कि वह सिम की रिपोर्ट लिखाने थाने गया था और उसी समय उसके हस्ताक्षर उक्त दस्तावेज पर करा लिये थे । इस प्रकार उक्त दोनों ही साक्षीगणों के प्रतिपरीक्षण उपरान्त उनके कथनों से आरोपी के द्वारा उनके समक्ष मेमोरेण्डम बरामदगी के संबंध में दिया जाना और बरामदगी की कार्यवाही की पुष्टि नहीं होती ।

13. इस प्रकार आरोपी के मेमोरेण्डम कथन के आधार पर जप्ती की कार्यवाही स्वतंत्र साक्षियों के कथनों से संपुष्ट होना नहीं पायी जाती । इस बिन्दु पर जप्तीकर्ता अधिकारी नानक चन्द्र यादव अ0सा06 के कथन का जहां तक प्रश्न है । प्रतिपरीक्षण में उनके द्वारा बताया गया है कि साक्षीगण के हस्ताक्षर घटनास्थल पर कराये हैं किन्तु किसी भी साक्षीगण ने घटनास्थल पर मौजूद न होना बताया है । जप्ती के साक्षी घटनास्थल या उसके आसपास भी नहीं है जैसा कि विवेचना अधिकारी ने स्वीकार किया है । जबकि मेमोरेण्डम एवं जप्ती के साक्षी उसे कहां मिले थे ऐसा भी वह स्पष्ट नहीं कर पाया है । ऐसी दशा में साक्षी नानकचन्द्र के कथन के आधार पर आरोपी हल्का उर्फ रामप्रकाश के आधिपत्य से जप्ती की कार्यवाही का तथ्य युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित नहीं है ।

14. उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में जबकि घटना के चक्षुदर्शी साक्षी के द्वारा अभियोजन

प्रकरण का कोई समर्थन नहीं किया गया है । घटना के अन्य साक्षी भागीरथ घटना का मात्र अनुश्रुत साक्षी है । उसके कथन से भी आरोपी के घटना में सामिल होने का कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता । आरोपी के मेमोरेण्डम कथन के आधार पर उसके आधिपत्य से चोरी की विषयवस्तु घंटों की जप्ती भी युक्तियुक्त रूप से प्रमाणित नहीं है । ऐसी दशा में आरोपी को दोषसिद्ध ठहराये जाने हेतु कोई समुचित साक्ष्य अभिलेख में होनी नहीं पायी जाती ।

15. उक्त परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ विचारण न्यायालय के द्वारा आरोपी को दोषसिद्ध ठहराये जाने में जो निष्कर्ष निकाला गया है वह अभिलेख में आयी हुयी साक्ष्य के आधार पर उचित रूप से निकाला गया निष्कर्ष नहीं माना जा सकता । अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा आरोपी के मेमोरेण्डम के आधार पर उसके आधिपत्य से जप्ती के तथ्य को भी प्रमाणित मानने में तथ्यात्मक भूल की गयी है ।

16. तदनुसार अधीनस्थ विचारण न्यायालय के द्वारा आरोपी के विरुद्ध धारा 379 भा0द0सं0 के तहत दोष सिद्ध मानते हुये उसे दण्डित किये जाने का जो आदेश दिया गया है वह स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है । अपीलार्थी के द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार करते हुये अधीनस्थ विचारण न्यायालय के द्वारा दिनांक 30-1-14 को पारित निर्णय के आधार पर आरोपी को दोषी ठहराये जाने और उसे दण्डित किये जाने का आदेश अपास्त किया जाता है । आरोपी को धारा 379 भा0द0सं0 के आरोप से दोष मुक्त किया जाता है ।

17. जप्त सुदा संपत्ती के संबंध में अधीनस्थ विचारण न्यायालय के द्वारा पारित आदेश के तहत निराकरण किया जाये ।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित

हस्ताक्षरित एवं घोषित किया गया ।

मेरे निर्देशन पर टाईप किया गया

(डी0सी0थपलियाल)  
अपर सत्र न्यायाधीश  
गोहद, जिला भिण्ड

(डी0सी0थपलियाल)  
अपर सत्र न्यायाधीश  
गोहद, जिला भिण्ड